PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2003/श्रावण 1, 1925
No. 120] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2003/SRAVANA 1, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जुलाई, 2003

सं. टीएएमपी/90/2002-एमओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के खंड 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत्‌द्वारा मुरगांव पत्तन न्यास में धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली किराए पर प्राप्त करने पर आई अतिरिक्त लागत वसूलने के लिए प्रभार लगाने हेतु मुरगांव पत्तन न्यास के प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी /90/2002- एमओपीटी

मुरगांव पत्तन न्यास — आवेदक

आदेश

(जुलाई 2003 के 8 वें दिन पारित)

यह प्रकरण मुरगांव पत्तन में धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली किराए पर प्राप्त करने पर आई अतिरिक्त लागत वसूलने के लिए प्रभार लगाने हेतु मुरगांव पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है ।

2.1. एमओपीटी ने अपने प्रस्ताव पक्ष में निम्नलिखित बिंदु उठाए हैं :-

(i) प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने केलिए और आईएसओ-14001 की आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता के रूप में, नियामक मानकों को पूरा करने के लिए, पत्तन को वायु में धूल की सघनता के स्तर को नियंत्रण में रखना ही होगा ।

(ii) जैसा कि वास्को शहर पत्तन न्यास के लंगरगाह 10 और 11 (कोयला /कोक लंगरगाह) के समीप है; और इन कोयला लंगरगाहों से उठने वाली धूल प्रदूषण संबंधी समस्याएं पैदा करती है, पत्तन ने लगभग 60 लाख रुपये प्रतिवर्ष की लागत पर धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली किराए पर अर्जित करने के लिए एक करार किया है । इसमें एक लदान केन्द्र की स्थापना और रासायनिक योजकों सहित तीन मोबाइल टैंकरों का प्रावधान शामिल किया गया है । उनके साथ लगे हुए तीन नोज़लों और उनके साथ जुड़े श्रमिकों / कर्मचारियों के साथ इन तीनों मोबाइल टैंकरों का उपयोग, लंगरगाह सं. 10 और 11 में कोयले के ढेरों पर सभी दिन तीनों पालियों में रासायनिक योजकयुक्त जल छिड़कने के लिए किया जाएगा ।

(iii) वसूली के लिए प्रस्तावित इस लागत में जल और विद्युत की लागत शामिल नहीं है, जो पत्तन द्वारा, सेवा प्रदान करने वाले को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

(iv) जैसा कि पत्तन द्वारा वहन की जाने वाली यह एक अतिरिक्त लागत है, और कोयले / कोक पर एकत्रित किए जाने वाले बंदरगाह शुल्क में सम्मिलित नहीं होती है या एमओपीटी के हाल ही में किए गए संशोधन में इस पर विचार नहीं किया गया था, प्रस्ताव किया जाता है कि इस अतिरिक्त लागत को वसूल करने के लिए, कोयले / कोक के आयातकों पर एक विशेष-प्रभार निर्धारित किया जाए ।

(v) 30 सितम्बर 2002 को हुई अपनी बैठक में न्यासी मंडल ने, टीएएमपी से अनुमोदन मिल जाने पर, लंगरगाह 10 और 11 पर प्रहस्तित कोयले / कोक पर रु. 2.25 प्रति टन की दर से सरचार्ज लगाने को अनुमोदन प्रदान किया है ।

(vi) पिछले वर्ष 27.27 लाख टन कोयला प्रहस्तित किए जाने के आधार पर दर रु. 02.22 प्रति टन (विद्युत और जल की लागत छोड़कर) आकलित हुई है । जिसे राऊंड ऑफ कर दिया गया है और रु. 2.25 प्रति टन निर्धारित की गई है ।

2.2 इस पृष्ठ भूमि में, एमओपीटी ने लंगरगाह सं. 10 और 11 पर प्रहस्तित कोयला / कोक पर रु. 2.25 प्रति टन का प्रभार लगाने को अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एमओपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्त्ता संगठनों के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था ।

4. इस प्रकरण में, 17 जून 2003 को एमओपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई हुई थी । उस संयुक्त सुनवाई में एमओपीटी और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा ।

5.1. प्रस्ताव की आरम्भिक जांच-पड़ताल करने पर, एमओपीटी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध किया गया: -

(i) धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली की ठीक-ठीक लागत ।

(ii) वर्ष 2002-2003 में कोयले / कोक की कितनी मात्रा का प्रहस्तन किया गया और अगले वित्तीय वर्ष 2003-2004 में कितना यातायात अपेक्षित है ।

5.2. प्रत्युत्तर में एमओपीटी ने निम्नलिखित विवरण दिया है:-

(i) धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली का करार मूल्य रु. 58,96,120/- है । इसमें जल और विद्युत पर आने वाली लागत शामिल नहीं है क्योंकि इनकी आपूर्ति पत्तन द्वारा की जाएगी ।

(ii) वर्ष भर में प्रहस्तित कोयले / कोक की मात्रा,

(लाख टन में)

अप्रैल से नवम्बर 2002	16.11
दिसम्बर 2002 से मार्च 2003 तक (प्रक्षेपित)	07.54
कुल	23.65

(iii) वर्ष 2003-2004 के लिए प्रक्षेपित मात्रा 25.50 लाख टन है ।

6. इस प्रकरण में परामर्श (लेने-देने) से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध है । संबंधित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा दिए गए तर्कों के अंश प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट- www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध होंगे ।

7. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित की गई सूचना के संदर्भ से, निम्नलिखित स्थितिं उभरती है:-

(i) हाल ही में, इस प्राधिकरण ने विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास में धूल भरे सामान पर पानी छिड़कने के लिए एक विशेष दर को अनुमोदन प्रदान किया है । यह प्रस्ताव भी उन्हीं रुपरेखाओं पर है । वीपीटी स्थित प्रणाली का स्वामी पत्तन है; किन्तु एमओपीटी द्वारा यह सुविधा किराए पर ली जा रही है । एमओपीटी का यह निर्णय संभवत: बूट व्यवस्था के अन्तर्गत कोयला / कोक के प्रहस्तन हेतु अलग लंगरगाहों के हो रहे विकास के कारण है ।

(ii) इस सुविधा के उपयोगकर्त्ता (जिंदल विजयानगरम् स्टील लिमिटेड जेवीएसएल) ने, अलग प्रभार लगाने की आवश्यकता पर आपत्ति उठाने के साथ विभिन्न आपत्तियाँ उठाई हैं । यहां यह बता देना प्रासंगिक होगा कि वीपीटी से संबंधित प्रक्रिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सिद्धांत ''प्रदूषक भुगतान करें'' को स्पष्ट किया है । स्पष्टतया पत्तन प्रदूषक नहीं है । किन्तु एक सार्वजनिक न्यास के रूप में और कार्गो प्रहस्तन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के रूप में एमओपीटी ने कोयला लंगरगाह पर प्रदूषण नियंत्रक प्रणाली प्रदान की है । इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि पत्तन न्यास द्वारा प्रदत्त कोई भी सेवा / सुविधा एक लागत के साथ आएगी । पत्तन न्यास सामान्य रूप से स्वयं वित्त पोषी संगठन हैं और अपने आवर्ती व्ययों (यहां तक की काफी हद तक, पूंजी) के लिए भी सरकार से इन्हें सहायता के रूप में कोई अनुदान नहीं मिलता । इसके आगे एमओपीटी ने स्पष्ट किया है कि कोयले / कोक का बंदरभाड़ा अभिकलित करने के लिए आनुषंगिक व्यय गिना नहीं गया था । उसके वैसा होते हुए, एमओपीटी द्वारा, धूल दबाने वाली प्रणाली पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए एक अलग प्रभार वसूलना अनुचित न होगा ।

(iii) मानसून की ऋतु में छिड़काव करने की आवश्यकता के विषय में जेवीएसएल के तर्क का एमओपीटी ने अच्छा जवाब दिया है । इस तथ्य के अलावा कि कोयले / कोक पर रसायन मिला पानी छिड़कने का कार्य मानसून ऋतु में पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सकता, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस सुविधा के लिए खंडों में करार करना संभव और किफायती होगा । जैसाकि एमओपीटी ने उल्लेख किया है, यदि मानसून की अवधि वाली मात्रा को प्रस्तावित प्रभार से बाहर रखा जाता है तो शेष अवधि में प्रहस्तित मात्रा को उच्च दर से भुगतान करना होगा क्योंकि इस व्यवस्था के कारण वसूले जाने वाले वार्षिक व्यय में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ।

(iv) एमओपीटी ने प्रस्तावित दर निकालने के उद्देश्य से 27.50 लाख टन यातायात आधार पर विचार किया है । इसकी तुलना में वर्ष 2002-2003 में कोयले / कोक की 23.65 लाख टन (अनन्तिम) मात्रा का प्रहस्तन किया गया और वर्ष 2003-2004 में 25.50 लाख टन प्रहस्त किए जाने का अनुमान है । इस स्थिति को देखते हुए, जेवीएसएल द्वारा यातायात की वृद्धि और पत्तन को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व के बारे में उठाए गए मुद्दे का आधार स्पष्ट नहीं है ।

(v) धूल दबाने वाली प्रणाली पर वार्षिक व्यय रु. 58.96 लाख और 27.50 लाख टन यातायात आधार पर विचार करते हुए दर रु. 2.14 प्रति टन अभिकलित होती है । इस दर को रु. 2.25 प्रति टन पर पूर्ण करना जैसाकि एमओपीटी ने प्रस्ताव किया है, आवश्यक और उचित नहीं जान पड़ता है । इसे रु. 2.15 प्रति टन पर समेटा जा सकता है ।

(vi) संयुक्त सुनवाई में, संबंधित उपयोगकर्त्ताओं का एक निकाय बनाने और, पत्तन द्वारा इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के बजाए, इस निकाय द्वारा इस सुविधा का प्रचालन करने पर संक्षिप्त विचार-विमर्श हुआ था । जेवीएसएल इस संभावना की आगे जांच-पड़ताल करने पर और पत्तन न्यास के साथ इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गया । यदि यह प्रस्ताव क्रियान्वित हो जाता है तो यह भविष्य में लागू होगा । उस समय तक, पत्तन यह सेवा प्रदान करता रहेगा । इसलिए इस सुविधा के संभावित निजीकरण से संबंधित विषय में किसी विकास की प्रतीक्षा किए बिना, एमओपीटी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और सेवाओं के लिए एक प्रभार निर्धारित करना आवश्यक है ।

8. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से एवं समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली पर होने वाले व्यय की वसूली के लिए, एमओपीटी के लंगरगाह सं. 10 और 11 में प्रहस्तित कोयले / कोक पर रु. 02.15 प्रति टन की दर (से प्रभार लगाने के प्रस्ताव) को अनुमोदन प्रदान करता है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा.]